# कार्यालय, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना करतला जिला कोरबा (छ.ग.)

## परिशिष्ट–एक

## आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क्र./ 97 /बाविपरि/2024–25 करतला, दिनांक 5/4/2025

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका का पद रिक्त होने के कारण इस पद पर नियुक्ति की जानी है । नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 09/04/2025 से दिनांक 25/04/2025 कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक कार्यालय, एकीकृत बाल विकास परियोजना करतला जिला कोरबा (छ.ग.) में सीधे जमा किया जा सकता है।

### कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु

| क्र. | ग्राम पंचायत/वार्ड तथा नगरीय निकाय का नाम | आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम | पद का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | जोगीपाली | मझीपाली जोगीपाली | आंगनबाड़ी कार्यकर्ता |
| 2 | चांपा | रायपारा चांपा | आंगनबाड़ी सहायिका |
| 3 | नोनबिर्रा | आमाडाड नोनबिर्रा | आंगनबाड़ी सहायिका |
| 4 | बड़मार | सड़कपारा बड़मार 1 | आंगनबाड़ी सहायिका |
| 5 | पीडिया | पीडिया 2 | आंगनबाड़ी सहायिका |
| 6 | मदवानी | संतपारा मदवानी | आंगनबाड़ी सहायिका |
| 7 | दादरकला | दादरकला 3 | आंगनबाड़ी सहायिका |

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ हैं–

13. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जावेगी)
14. कक्षा आठवी एवं बारहवीं उत्तीर्ण आवेदिकाओं की अंकसूची में प्राप्तांक के स्थान पर यदि **ग्रेडिंग** हो तो ग्रेडिंग के अनुसार ही अंकों की गणना वाली अंकसूची लगाना अथवा प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित प्राप्तांक/पूर्णाक/प्रतिशत देना अनिवार्य होगा ताकि इनका मूल्यांकन किया जाना संभव हो सके।
15. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है । (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए)
16. निवासी होने के प्रमाण पत्र में (i) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे अथवा (ii) ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा उपसरपंच (सरपंच/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र) अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा । विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जायेगा ।
17. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए–

| | |
|---|---|
| आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु | 12 वीं अथवा 11 वीं बोर्ड (पूर्ववर्ती) उत्तीर्ण |
| आंगनबाड़ी सहायिका हेतु | 8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण |

**टीप**–उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी । इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवीं बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पॉचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी । सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा ।

18. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सहसहायिका होने पर, प्रभावशील गरीबी रेखा व सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र होने पर, अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर, कक्षा आठवी तक अनुसूचित जाति, जनजाति कन्या आश्रम में रह कर अध्ययन करने वाली तथा सरपंच/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी विधवा, परित्यक्ता प्रमाण पत्र अथवा तलाकशुदा महिला होने पर नियामानुसार अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है । इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा ।

**टीप**–आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का दस्तावेज, किसी भी परिस्थिति में शामिल नहीं किया जावेगा और न ही इस पर विचार किया जावेगा । यदि आवेदिका द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बाधा डाला जाता है या किसी अन्य व्यक्ति से अप्रिय दबाव बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन को अमान्य किया जावेगा ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
करतला जिला कोरबा (छ.ग.)